(b) It is proposed to add sufficient switching capacity during 1998-99 and the above waiting list is likely to be cleared by March, 1999.

(c) The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has brought out a Consultation Paper on Telecom. Pricing, suggesting rebalance of telecom, tarrifs. TRAI is in the process of consulting Service Providers, Consumer Organisations and general public to ascertain their views.

**गैर-विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों की बर्खास्तगी**

1286. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में डाक विभाग में गैर-विभागीय शाखा पोस्टमास्टर्स/निम्नस्तरीय कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा सभी नियमों और विनियमों को ताक पर रखते हुए मनमाने ढंग से परेशान किया जा रहा है और सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो नालंदा जिले के अंतर्गत बिहार शरीफ मंडल में अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से सेवा बर्खास्तगी के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों का गहन अध्ययन करने हेतु और वहां कानून का शासन बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन मामलों के संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ)**: (क) और (ख) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। तथापि, नालंदा डिवीजन में अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर, जो उनके द्वारा दी गई आयु/जन्मतिथि की झूठी जानकारी के आधार पर 65 वर्ष की आयु के उपरांत भी सेवा में बने हुए थे, उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया है। आठ अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को सरकारी राशि के दुर्विनियोजन में संलिप्त होने तथा ड्यूटी में कोताही बरतने के कारण नौकरी से हटा दिया गया है।

इन सभी मामलों में विभागीय नियमों/विनियमों और अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**बिहार में डाक विभाग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति**

1287. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में मुख्य रूप से छपरा और हाजीपुर जिलों में डाक विभाग में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) इनमें से कितने ऐसे मामले हैं जिनमें मृतक अधिकारी/कर्मचारी प्रधान डाकघर, हाजीपुर में कार्यरत थे;

(ग) इन मामलों के अब तक विचाराधीन रहने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इन मामलों के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ)**: (क) छपरा और हाजीपुर जिलों में विभागीय कर्मचारियों से संबंधित ऐसे चार और अतिरिक्त विभागीय एजेंटों से संबंधित दो मामले हैं।

(ख) हाजीपुर प्रधान डाकघर के भूतपूर्व कर्मचारी से संबंधित केवल एक मामला है।

(ग) और (घ) इन मामलों में से चार मामले संबद्ध जानकारी के अभाव में जांच के लिए लंबित हैं। दो मामले सर्किल चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने हैं।

(ङ) जैसे ही सभी संबंधित डाटा मिल जाएगा और सर्किल चयन समिति द्वारा इसकी जांच कर ली जाएगी।

**PCOs in North-East Region**

1288. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of PCOs functioning in the country particularly in the States of North-East Region at present, district-wise;